2025
International Year of Cooperatives

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 1341
दिनांक 26/8/25

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.9(7)गृह–12 / कारा / 2025 जयपुर, दिनांक : e-signed date

<u>अधिसूचना</u>

यत् भारत में अवैध रूप से प्रवास / निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को निरूद्ध किये जाने हेतु विदेशी अधिनियम, 1946 (केन्द्रीय अधिनियम, 1946 का 31) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ई) के अधीन अस्थाई रूप से निम्नलिखित को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.05.2025 एवं 08.05.2025 द्वारा डिटेन्शन सेंटर घोषित किया गया था। उन अधिसूचना को विखण्ड़ित करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम, 1894 का 9) की धारा 3 की उप–धारा (1) एवं राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम 3 के खण्ड (जेड ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त स्थानों को स्थाई रूप से कारागृह घोषित करती है:–

क्र.स.	स्थान	जिला
1	उप कारागृह, बहरोड़	कोटपुतली–बहरोड़
2.	उप कारागृह, मेड़ता सिटी	नागोर
3.	उप कारागृह, झाडोल	उदयपुर
4.	महिला बंदी सुधार गृह	कोटा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनुराधा गोगिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना की पुष्टि करवाने का श्रम करावें।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Gogiya
Designation: Additional Chief Vigilance Commissioner
Date: 2025.08.06 21:31:25 IST
Reason: Approved

2025 International Year of Cooperatives

4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपुतली–बहरोड़/नागोर/उदयपुर/ कोटा।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, कोटपुतली–बहरोड़/नागोर/उदयपुर/कोटा।
6. अधीक्षक, राजस्थान केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7. प्रोग्रामर, गृह (समन्वय) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Gogiya
Designation: Additional Chief
Vigilance Commissioner
Date: 2025.08.06 21:31:25 IST
Reason: Approved

Office Address – Room No. 1117, Home Department, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005 (Raj.)
Telephone No. 0141-2227246 E-Mail Id- home.jail@rajasthan.gov.in